# निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 16/2022 दिनांकः– 14.02.2022

अनवान

सज्जनसिंह पिता सुल्तानसिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ----वादी

।। बनाम ।।

1. जगदीश पिता मोहन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगीबाई पत्नि मांगू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. रतन पिता मांगू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. लक्ष्मणदास पिता सुखदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. हीरादास पिता सुखदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. चांदीबाई पुत्री सुखदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. रूकमणबाई पुत्री सुखदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी झाडौली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ

---- प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा**

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र आदेश 07 नियम 01,02 जा0दि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

1. यह कि वादी के आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम झाडोली प0ह0 आसावरा तहसील भदेसर के साबिक आराजी नम्बर 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खाता संख्या 87 पर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

आराजी नम्बर 190 रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के संयुक्त कब्जे काश्त की होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 से 07 संयुक्त रूप से मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076, मिलानशीट एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न वादपत्र है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित साबिक आ0नं0 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मुलपुरूष गुलाबदास पिता प्रेमदास बैरागी निवासी झाडौली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संवत् 2048 ज्येष्ठ बिद 7 तारीख 05.06.1991 को बिल एवज 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रू0 में गुलाबदास पिता प्रेमदास का बनने वाला 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर कब्जा भी केता ने विकेता से प्राप्त कर लिया उसी खरीद दिनांक से ही वादी खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर बहैसियत उपयोग उपभोग कर रहा है।

3. यह कि वादी खरीद दिनांक 05.06.1991 से ही खरीदी गई आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु वादी पुलिस विभाग में कर्मचारी होने से जिले से बाहर नौकरी करता रहा जिस कारण आराजीयात का नामांतरण अपने नाम नहीं खुलवा सका और इसी दरम्यिान विकेता गुलाबदास का स्वर्गवास हो और विरासतीय नामांतकरण विरासत से प्रतिवादी सं. 01,02 एवं 03 के नाम खुल जाने से उक्त विक्रयशुदा आराजीयात आज भी राजस्व रेकार्ड में विकेता के वारिसान के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 वादी को उसके द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि से बेदखल कर अन्य को हस्तांतरित करने पर आमादा हो रहे है इस कारण वादी को विकेता गुलाबदास से खरीद किये गये 1/2 हक हिस्से वाली

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति पारित फरमाई जावे तदर्थ यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा पेश है।

4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादी द्वारा विक्रेता गुलाबदास से खरीद की गई कृषि भूमि आज भी रालस्व रेकार्ड में विक्रेता गुलाबदास के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है जिसका नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादीगण वादी को आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन,बक्ष व दिगर तरीके से मुंतकील करने पर आमादा हो रहे है तथा वादी के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त में दखलंदाजी कर रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी को गुलाबदास से खरीद किये गये 1/2 हक हिस्से वाली कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे, कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व आराजीयात उनके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील नहीं करे।

5. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 05.01.2022 को प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर वादी को जमीन से कब्जा छोडने व आराजीयात उनके नाम पर होने से अन्य को रहन,बह, बक्षीस करने की धमकिया देने से पैदा होकर हर दिन जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की की साबिक आराजी नम्बर 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के मूल पुरूष गुलाबदास के निहित 1/2 हक हिस्से वाली कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादी द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं आराजीयात राजस्व रेकार्ड में उनके नाम

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

होने से किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया। वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा झाडौली खाता सं. 87 संवत् 2076
2. नक्शा ट्रेस मौजा झाडौली खाता सं. 87
3. मिलान क्षैत्रफल मौजा झाडौली
4. पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रति दिनांक 05.06.1991

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। मनन किया गया। उपरोक्त आराजीयात पर वादी खरीद दिनांक 05.06.1991 से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहा है। परंतु उक्त भूमि का तत्कालीन खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान जो कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 है के नाम विरासत से नामांतरण खुल गया। जबकि मौके पर वादी वर्तमान में अपने खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 उक्त आराजीयात अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर भूमि को हस्तांतरित करने पर आमादा हो रहे है। अतः ग्राम झाडौली के साबिक आराजी नम्बर 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खाता संख्या 87 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/2 हक हिस्सा जो कि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 05.06.1991 से तत्कालीन खातेदार गुलाबदास पिता प्रेमदास बैरागी से क्रय की थी। परंतु उक्त आराजीयात का नामांतकरण वादी के नाम नहीं खुलने

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कारण गुलाबदास की मृत्यु के पश्चात नामांतकरण विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम खुल गया। अतः उक्त आराजी नम्बर 190 में से 1/2 हक हिस्सा वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेज एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 05.06.1991 के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम झाडौली के साबिक आराजी नम्बर 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खाता संख्या 87 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हक हिस्सा वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदा है का विरासत से नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम खुल गया जबकि वादी वर्तमान में खरीद दिनांक से ही बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी मौजा ग्राम झाडौली के साबिक आराजी नम्बर 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खाता संख्या 87 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का नाम विलोपित किया जाकर वादी को उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner